

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 401]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2011—भाद्र 4, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2011

फा. क्र. 2053-2011-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री रजनीश श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर, भोपाल का राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्रदान कर अन्यत्र पद स्थापना हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदस्थ श्री उमाशंकर भार्गव, संयुक्त कलेक्टर, भोपाल को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.